भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1243

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

यूएलपीआईएन (भू-आधार)

†1243. श्री एम.के. राघवनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोई व्यापक और अनिवार्य डिजिटल सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार ने यूएलपीआईएन (भू-आधार) के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) भारत सरकार भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के डिजिटीकरण/कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केन्द्र सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डीआईएलआरएमपी एक मांग प्रेरित कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए प्रस्तुत उनके प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं।

डीआईएलआरएमपी का एक घटक सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण है। डीआईएलआरएमपी के तहत निम्नलिखित 3 कार्य पद्धतियां विहित हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए: (i) हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी (एचआरएसआई) पद्धति (ii) एरियल/हाइब्रिड पद्धति और (iii) ईलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस)/ डिफ़्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) पद्धति/पद्धतियों का चयन करने का विकल्प होता है। डीआईएलआरएमपी को 875 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक बढ़ाया गया है।

इसके अतिरिक्त भूमि संसाधन विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी भूमि अभिलेख सटीक हों, 28 राज्यों के 150 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के सृजन हेतु "नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन्स (नक्शा)" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके भाग के रूप में ओर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस (ओआरआई) सृजित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में 2 डी नाडीर कैमरा, ओब्लिक एंगल कैमरा और लिडार सेंसर का उपयोग करते हुए बड़े स्तर पर मानचित्रण किया गया है और इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण टीमों को तैयार करके ओआरआई की सहायता से फील्ड सर्वेक्षण कार्यकलापों को शुरू किया जाएगा। सर्वेक्षण टीम द्वारा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) रोवर और कंट्रोलर्स का उपयोग करते हुए भूमि पर सभी भूखंडों का सीमांकन करके सर्वेक्षण कार्यकलाप शुरू किया जाएगा।

ग्रामीण कृषि भूमि में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, असम, बिहार, ओडिशा जैसे कुछ राज्य डीआईएलआरएमपी से वित्तपोषण के साथ पुनःसर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं।

(ख) विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या यूएलपीआईएन (भू-आधार), डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का भाग है जिसे मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, यूएलपीआईएन (भू-आधार) भूखंड (अक्षांश-देशांतर) के कोनों के भू-निर्देशांकों के आधार पर प्रत्येक भूखंड को नियत 14 अंको की अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान है। अब तक यूएलपीआईएन (भू-आधार) को 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाया गया है।

****